कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर
(Telephone - 0771-2282549, helpline - 0771-2511594, email - rfs cg@gov in, website - rfas cg nic in)

कमांक / शिका–1845 / 1269 /25 नवा रायपुर, दिनांक 16/09/2025

1/ श्री दामू आम्बेडारे
पूर्व अध्यक्ष रायपुर प्रेस क्लब, रायपुर
निवासी–फुल चौक के पास, रायपुर
तह. व जिला–रायपुर।

2/ श्री मोहन तिवारी
सदस्य, रायपुर प्रेस क्लब, रायपुर
पता–जलगृह मार्ग भगत सिंह चौक, रायपुर
तह. व जिला–रायपुर।

3/ श्री संदीप पुराणिक
संपादक
पता मकान नंबर–25/91, सोहागा मंदिर रोड
ब्राम्हणपारा, रायपुर, तह. व जिला–रायपुर।

4/ श्री प्रदीप चंद्रवंशी एवं अन्य
पता–प्रियदशर्नीय नगर, रायपुर, तह. व जिला–रायपुर।

5/ श्री विजय कुमार वर्मा एवं अन्य
पता– पता–मधुकर खेर स्मृति एवं रविंद्रनाथ सांस्कृतिक भवन
मोतीबाग चौक, रायपुर तह. व जिला–रायपुर शिकायतकर्तागण

विरूद्ध

1/ अध्यक्ष / महासचिव
रायपुर प्रेस क्लब
पता–मधुकर खेर स्मृति एवं रविंद्रनाथ सांस्कृतिक भवन
मोतीबाग चौक, रायपुर, तह. व जिला–रायपुर उत्तरवादी

//आदेश//

संस्था रायपुर प्रेस क्लब, रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1973 (संशोधत–1998) के अधीन पंजीयन कमांक–1129, दिनांक 17.09.1968 पर पंजीकृत संस्था है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते है।

शिकायतकर्ता श्री दामू आम्बेडारे के द्वारा दिनांक 26.12.2024, 21.01.2025, 15.04.2025, 26.05.2025, 06.06.2025 को शिकायत प्रस्तुत कर सामान्य सभा में संशोधन हेतु रखे गये प्रस्तावित संविधान संशोधन पर आपत्ति की गई एवं वर्तमान कार्यकारिणी द्वारा आयोजित सामान्य सभा दिनांक 01.12.2024 में लिये गये समस्त निर्णय को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

संस्था की ओर से श्री प्रफुल्ल के द्वारा शिकायत के संबंध में दिनांक 29.05.2025 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दो विषयों पर चर्चा किये जाने की जानकारी दी

गई एवं दिनांक 17.07.2025 को शिकायत के स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर श्री दामू आम्बेडारे एवं शगुफा शीरिन को दिनांक 01.12.2024 को आयोजित आमसभा में बर्खास्त करने एवं बाहरी व्यक्तियों के आपित्तयों पर जवाब देने हेतु बाध्य नहीं होने की जानकारी दी गई।

श्री प्रफुल्ल ठाकुर के द्वारा दिनांक 22.07.2025 को संशोधन पर आपत्ति के संबंध में जानकारी दी गई कि वर्ष–2018 से नवंबर–2025 तक कुल 38 सदस्यों का निधन हो चुका है। इसके अतिरिक्त 88 सदस्य रायपुर छत्तीसगढ़ अथवा पत्रकारिता छोड़कर चले गये हैं।

श्री मोहन तिवारी द्वारा दिनांक 09.07.2025 को शिकायत प्रस्तुत कर संविधान संशोधन प्रकिया को रोकने हेतु निवेदन किया गया है। शिकायतकर्ता श्री तिवारी द्वारा संशोधन के संबंध में निम्नानुसार आपत्ति की गई है :–

(1) नियम अनुसूची–16 में वर्णित विशेष सामान्य सभा नहीं बुलाई गई।

(2) नियम अनुसूची–16 में वर्णित नियम अनुसार सभी सदस्यों को व्यक्तिगत 15 दिन पूर्व सूचना के नियम का पालन नहीं किया गया है।

(3) 1 दिसंबर को बुलाई गई सामान्य सभा उपस्थित सदस्यों के 3/5 सदस्यों 60 प्रतिशत के सहमति नहीं थी।

(4) सामान्य सभा में हंगामा होने की वजह से प्रस्ताव पर मत ही नहीं लिये गये हैं। वीडियोग्राफी उपलब्ध है, सभा हंगामें की भेंट चढ़ गई थी।

(5) 1 दिसम्बर, 2024 को सम्मान में सभा हुई थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक रजिस्टर में अनुपस्थित सदस्यों सहमति बात में भी ली जाती रही।

श्री संदीप पुराणिक के द्वारा दिनांक 09.07.2025 को शिकायत प्रस्तुत कर संविधान संशोधन के लिये जरूरी 3/5 भाग के सदस्यों का समर्थन पत्र पर नियम विरूद्ध हस्ताक्षर कराये जाने की शिकायत की गई एवं संविधान संशोधन के संबंध में निम्नानुसार आपत्ति की गई है :–

(1) संविधान संशोधन के लिये बुलाई गई सभा में नियमानुसार आवश्यक सदस्यों की सहमति नहीं है।

(2) संविधान संशोधन के सामान्य सभा के मिनट रजिस्टर को पंजीयक कार्यालय में नियत समय पर जमा नहीं किया गया है।

(3) बैठक की पंजी पर आज भी सदस्यों के दबाव पूर्वक हस्ताक्षर लिये जा रहे है।

(4) नियम विरूद्ध रजिस्टर बनाकर हस्ताक्षर कराने के आधार पर प्रेस क्लब के संविधान संशोधन को पास करने की कोशिश है।

निष्कर्ष :–

प्रकरण में संविधान संशोधन के संबंध में प्रस्तुत शिकायतकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत शिकायत संस्था अध्यक्ष/सचिव के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण, संशोधन के प्रस्ताव एवं उभय पक्षों के तर्क श्रवण उपरांत यह पाया गया कि सामान्य सभा की बैठक दिनांक 01.12.2024 में संशोधन प्रस्ताव पारित किया गया है एवं उक्त बैठक में कुल 372 सदस्य उपस्थित हुए थे। संशोधन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत निर्धारित प्रारूप–4 में वर्तमान सदस्यों की कुल संख्या 784 अंकित किया गया है।

संस्था के पंजीकृत नियमावली की कंडिका–16 में संस्था के संविधान में संशोधन के प्रावधान निम्नानुसार है :–

The Club may add to or amend any rules at a special meeting convened for the purpose after notice is given provied that the Executive Committee submit the propositions to the members of the Club in writing and convene a special meeting of the general body for the consideration there of according to the regulation of the club. But no such proposition shall be carried into affect unless such report shall bave been delivered or sent by post to every member of the club 15 days before the specially convened General Body meeting of the Club, nor unless such proposition Shall have been agreed of by votes of 3/5 of the members present.

If the club fail to amend the byelaws which are not clear and in accordance with the ct,or the direction of the Registrar,he shall have power to amend the byelaws.

उपरोक्तानुसार संस्था के पंजीकृत नियमावली की कंडिका–16 के प्रावधानानुसार 3/5 सदस्यों के द्वारा संशोधन प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। अतः संस्था के द्वारा संविधान संशोधन हेतु दिनांक 28.02.2025 आनलाईन अपलोड किये गये प्रस्ताव को अग्राहय किया जाता है।

संस्था कार्यकारिणी का कार्यकाल दिनांक 17.02.2025 को समाप्त हुआ चुका है। अतः संस्था को निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत एवं प्रचलित नियमावली की कंडिका–4 के प्रावधानानुसार बनाये गये समस्त वैधानिक सदस्यों के मध्य कार्यकारिणी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन 60 दिवस के भीतर संपन्न कराकर अधिनियम की धारा–27 के अधीन जानकारी प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

संस्था कार्यकारिणी के निर्वाचन उपरांत निर्वाचित कार्यकारिणी के द्वारा पंजीकृत एवं प्रचलित नियमावली के प्रावधानानुसार विधिवत् संशोधन प्रस्ताव पारित कर ऑनलाईन अपलोड की जावेगी।

पंजीयक संस्थाएं छत्तीसगढ़

(पदमिनी भोई साहू)
रजिस्ट्रार
O/C फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़